क्रम संख्या 104

उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1

संख्या 1567/43–1–99–48(4)/98

लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999

संकल्प

प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कानून/नियम/विनियम/प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उसे यथावत बनाये रखने, उसके संशोधन/निरस्तीकरण पर विचार करने, नये कानून/विनियम/प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करने एवं अन्य सुसम्बद्ध बिन्दुओं पर विचारोपरान्त संस्तुति देने के लिए श्री राज्यपाल अग्रवत् एक विनियमीकरण समिति (डि–रेगुलेशन समिति) गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री वी० के० सक्सेना, ... अध्यक्ष
भूतपूर्व मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) श्री पी० पी० वैरिया, ... सदस्य
सेवानिवृत्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(3) श्री ओ० पी० द्विवेदी, ... सदस्य
अपर निदेशक (शोध),
इन्स्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल
रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ।

(4) विशेष सचिव, ... सदस्य-सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2—विनियमीकरण समिति निम्नलिखित संदर्भ बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी :–

(1) प्रत्येक विभाग के कानूनों/विनियमों एवं प्रक्रियाओं की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसकी प्रासंगिकता/औचित्यता का परीक्षण करते हुए उसे पारदर्शी एवं आसान बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों की समीक्षा कर उसे बनाये रखने अथवा उसके संशोधन/निरस्तीकरण पर विचार किया जाना।

(2) विभिन्न विभागों के सहयोग से अन्तर्विभागीय (इण्टर डिपार्टमेन्टल) प्रभाव डालने वाले कानून/ विनियमों/ प्रक्रियाओं की पहचान कर उसे बनाये रखने की औचित्यता की छानबीन कर उसे यथावत रखने, संशोधन करने अथवा निरस्तीकरण पर विचार किया जाना।

(3) विशेषकर कमजोर वर्गों सम्बन्धी संचालित कानूनों/विनियमों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए उसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप आसान, पारदर्शी बनाये जाने के संबंध में स्पष्ट संस्तुति देना।

2.1—विनियमीकरण समिति अपनी संस्तुतियां देने से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगी :–

(1) प्रत्येक संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से गहन विचार-विमर्श के उपरान्त स्वयं अपने स्तर पर समस्त अधिनियमों, नियमों के कार्यकारी आदेशों का पुनरीक्षण करना।

(2) उन अधिनियमों, नियमों को चिन्हित करना जिनकी उपयोगिता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है।

(3) पुनरीक्षण के समय उस बात पर स्पष्ट निर्णय लिया जायेगा कि क्या अधिनियम, नियम या कार्यकारी आदेश को समाप्त किया जाना है या इसे संशोधित रूप में बनाये रखना है।

(4) अधिनियमों और नियमों को जनोन्मुख (पीपुल्स फ्रेन्डली) बनाये जाने के लिए सभी अधिनियमों और नियमों को निम्नांकित दृष्टिकोण से पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा :—

(अ) वर्ष 1947 से पूर्व प्रख्यापित ऐसे सभी अधिनियमों और नियमों का विशेष पुनरीक्षण इस दृष्टि से किया जायेगा कि यदि इन अधिनियमों और नियमों में नागरिक स्वतंत्रताओं का किसी प्रकार से हनन हो रहा हो, तो उक्त प्राविधान को हटाया जा सके।

(ब) वर्ष 1950 से पूर्व के सभी प्रख्यापित अधिनियमों, नियमों, और नियम संग्रहों का इस दृष्टि से पुनरीक्षण कर लिया जायेगा जिससे यदि 1950 में संविधान की अंगीकार किये जाने के उपरान्त विद्यमान अधिनियमों और नियमों में यदि जनतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) शासन प्रणाली और जनतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा हो, तब उसे हटाया जा सके।

(स) शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता (ट्रान्सपैरेन्सी) लाने के उद्देश्य से समस्त अधिनियमों और नियम में सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि में व्यापक परिवर्तन लाये जाने आवश्यक हैं और तदनुसार उनमें संशोधन किये जायें।

(द) विनियमीकरण समिति अपनी संस्तुतियां देते समय उ० प्र० प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा तैयार किये गये बैक ग्राउन्ड पेपर तथा श्री पी० सी० जैन आयोग के प्रदेश से संगत सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगी।

2.2—विनियमीकरण समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार करेगी :—

(1) प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार "सूचना के अधिकार" को प्रतिपादित कराये जाने के प्रयोजनार्थ उसके विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरान्त मुख्य व्यवस्थाओं के बारे में सुविचारित संस्तुति देने पर विचार किया जाना।

(2) भ्रष्ट कार्मिक को तात्कालिक अनुकरणीय अभियोजन कराने तथा सन्देहास्पद सत्यनिष्ठा के कार्मिकों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से विद्यमान नियमों, विधिक प्राविधानों के संशोधन करके बिन्दु पर विचार कर संस्तुति देना।

(3) राज्य सेवाओं के लिए नैतिक संहिता का प्रतिपादन कर उसे लागू करने के परिप्रेक्ष्य में सुसम्बद्ध पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देना।

(4) दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के मामलों के निस्तारण में समय एवं लागत को घटाने की कार्यवाही पर विचार किया जाना।

(5) अनुमोदनों/स्वीकृतियों एवं परमिट्स को सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी एवं एकल खिड़की आधारित बनाया जाना।

(6) विनियमीकरण समिति अपनी संस्तुतिया दते समय यह भी इंगित करेगी कि राज्य सरकार द्वारा उनकी संस्तुतियों को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू किया जाय।

3—विनियमीकरण समिति अपनी रिपोर्ट 6 माह में शासन को प्रस्तुत करेगी।

4—विनियमीकरण समिति को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में शासन के प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव और उनके अधीन कार्यरत समस्त संस्थाओं के प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग एवं सहायता दी जायेगी।

5—विनियमीकरण समिति का मुख्यालय लखनऊ के सचिवालय परिसर स्थित "बापू भवन" में होगा।

6—गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति एवं तैनाती की शर्तों के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।